

आवास 201/2017 निर्माण कार्य 15/03/22

दण्डाधिकारी, अनुमण्डल बुण्डू (राँची)

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-107 के तहत

वाद सं०-एम० 36/2022

रतन भगत

बनाम

जयपाल सिंह मुण्डा

तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
1	2	3
16-03-2022	<p>प्रस्तुत वाद में धारा-107 द० प्र० सं० के अन्तर्गत प्रमारी बुण्डू के अप्राथमिकी संख्या- 02/22 दिनांक 21/02/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रास्ता को लेकर विवाद है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/द्विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द० प्र० सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 50,000/- (पचास हजार) रु० मात्र का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 02-04-2022 को उपस्थापित करें।</p>	

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू।

आदेश की क्रमांक / तिथि
Order No./Date

कुमार भगत से प्रतिपरीक्षण पुरा किया गया
तत्पश्चात गवाही को मुक्त किया गया।
दिनांक 10-10-2022 को रखा।

19.09.
कार्य. दण्डा.
कुण्ड।

10-10-2022 अभिलेख उपस्थापित। उनमें पक्ष उपस्थित।
वाद में वैधानिक समय सीमा पर (06) माह
की अवधि पूर्ण हो चुका है अर्थात् वाद
कालबाधित हो गया है। अतः वाद में बिना
कोई प्रभावी आदेश पारित किये अभिलेख
की कार्यवाही को बंद किया जाता है।

10.10.
कार्य. दण्डा.
कुण्ड।

27/0

11-07.